पटना में दिनांक–13 अगस्त, 2025 बुधवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1.	मेसर्स माँ प्रभावती टेक्सटाईल मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र गुरारू, जिला–गया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

2.	बेगुसराय जिला अन्तर्गत अंचल–बेगूसराय के मौजा–कुसमौत थाना नं०–334 में कुल रकबा 991 एकड़ भूमि का आधारभूत सरंचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 3,51,59,76,345/–(रूपये तीन अरब एकावन करोड़ उनसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ पैतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

3.	पटना जिला अन्तर्गत अंचल–बख्तियारपुर के मौजा–सैदपुर, थाना नं०–170 मौजा–बहादुरपुर, थाना नं०–171, मौजा–गंगापुर नरौली थाना नं०–174 एवं मौजा–ताराचंदपुर, थाना नं०–189 में कुल रकबा–500 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 2,19,34,84,930 (रूपये दो अरब उन्नीस करोड़ चौतीस लाख चौरासी हजार नौ सौ तीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

4.	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

5.	पटना जिलान्तर्गत पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समतुल्य रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केबल सस्पेंशन पुल निर्माण कार्य हेतु कुल 8299.48 लाख (बेरासी करोड़ निन्यानबे लाख अडतालीस हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

6. पटना शहर स्थित मीठापुर फ्लाई ओभर से चिरैयाटांड फ्लाई ओभर (भाया करबिगहिया) जोड़ने हेतु फ्लाई ओभर निर्माण कार्य का 29274.04 लाख (दो सौ बानबे करोड़ चौहत्तर लाख चार हजार) रूपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल–कटेया, मौजा–बैरिया, थाना सं0–72, खाता सं0–591, खेसरा सं0–975, कुल प्रस्तावित रकबा–6.94 एकड़, किस्म–गैरमजरूआ मालिक पर औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–2,60,77,050/– (दो करोड़ साठ लाख सतहत्तर हजार पचास) रूपये के भुगतान पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2492 दिनांक–30.11.2005 द्वारा अधिसूचित बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2005 (समय–समय यथा संशोधित) को निरसित करते हुए बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 को अधिसूचित करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

9. राज्य अन्तर्गत सभी जिला समाहरणालय में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढ़ाँचे, यथा प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, दीदी की रसोई आदि की सुविधा की व्यवस्था के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

10. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम–14 में संशोधन करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

11. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय दोगुना किये जाने के फलस्वरूप इनके अतिरिक्त मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत मांग संख्या 42 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 347.51 करोड़ (तीन अरब सैतालीस करोड़ इक्यावन लाख) रूपये की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

12.	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत गया जिला में संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के परिसर में वास्तुकला विभाग भवन एवं अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) तथा 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 6207.44 लाख (बासठ करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

परिवहन विभाग

13.	उत्सर्जन मानक Bharat Stage-I एवं पूर्व के उत्सर्जन मानक के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर परिवहन यान तथा उत्सर्जन मानक Bharat Statge-II के अनुसार विनिर्मित सभी मध्यम और भारी मालयान/यात्री मोटरयान को रजिस्ट्रीकृत स्क्रेपर के माध्यम से वाहन स्क्रेप करा कर निक्षेप प्रमाण–पत्र (Certificate of deposit) प्रस्तुत करने पर मोटरवाहन कर में 50% छूट की सुविधा वाहन स्वामियों को दिये जाने हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची–V में क्रम संख्या–1 के पश्चात् क्रम संख्या–2 अंतःस्थापित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

14.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत राज्य के प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय हेतु अतिरिक्त 459 (चार सौ उनसठ) निम्नवर्गीय लिपिक के पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

15.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए सहायक अनुदान हेतु 25860.00 लाख (दो सौ अनठावन करोड़ साठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16.	राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र एवं छात्रा एवं प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1ली अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से देने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 2 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पोशाक के क्रय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1ली अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर योजना का वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से देने के संबंध में।

17. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18. श्री निशीथ वर्मा भा०प्र०से०, अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.08.2025 के बाद उसी पद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–7329 दिनांक–25.04.2025 की कंडिका–4 (iii) के प्रावधानों के आलोक में संविदा पर अगले 02 (दो) वर्षों या नियमित पदस्थापन होने तक (जो पहले हो) के लिए नियोजन के संबंध में।

18. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

19. बीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का ओ०एल०एस०(OLS) सर्वे करने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम 131(ज्ञ)(छ) की उपकंडिका–iii के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं ओ०एल०एस०(OLS) सर्वे शुल्क अग्रिम के रूप में जी०एस०टी० सहित ₹2,90,91,720/– (दो करोड़ नब्बे लाख इक्यानवे हजार सात सौ बीस रूपये जी०एस०टी० सहित) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

19. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

20. गया जी हवाई अड्डा विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत कैट–I लाईट के अधिष्ठापन हेतु 18.2442 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹1,37,17,16,016/– (एक सौ सैंतीस करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार सोलह रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

20. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत प्राप्त ऋण से 19 (उन्नीस) "जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र" के भवन निर्माण, 2(दो) "अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय" के भवन निर्माण तथा 4(चार) "प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय" के भवन निर्माण कुल रूपये 2,19,31,75,000/--(दो सौ उन्नीस करोड़ एकतीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

22. सिवान जिला अन्तर्गत अंचल–मैरवा अन्तर्गत मौजा–अटवा, थाना नं०–45 से कुल रकबा 167.349 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 1,13,92,24,303.00 (रूपये एक अरब तेरह करोड़ बानवें लाख चौबीस हजार तीन सौ तीन) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

23. सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल–कहरा मौजा–वनगाँव, थाना नं०–137, मौजा–देवनागोपाल, थाना नं०–140, 141 एवं 142 तथा मौजा–बलहर अराजी (उर्फ भेलवा) थाना नं०–143 में कुल रकबा 420.62786 एकड़ भूमि का अधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 88,01,13,847.00 (रूपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

24. मधेपुरा जिला अन्तर्गत अंचल–ग्वालपाड़ा के मौजा–विषवाड़ी में रकवा–143.13 एकड़, मौजा–ग्वालपाड़ा में रकबा–129.22 एकड़ एवं अंचल–उदाकिशुनगंज के मौजा –लश्करी, में कुल रकवा–276.52 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकवा–548.87 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रू० 41,26,00,100.00 (रूपये एकतालीस करोड़ छब्बीस लाख एक सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

25. वित्तीय वर्ष 2025–26 में अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के तहत इण्टीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) डोभी, गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु वन भूमि के समतुल्य रैयती एवं अनावाद बिहार सरकार के सर्वेक्षित भूमि, अंचल–मोहनपुर के विभिन्न मौजा में 700 एकड़ तथा अंचल–फतेहपुर के विभिन्न मौजा में 600 एकड़ अर्थात कुल समेकित भूमि का रकबा–1300 एकड़ का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण योग्य रकवा एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि 416,00,00,000/–(चार अरब सोलह करोड़) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

26. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत पटना क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) से पी०पी०पी० मोड में स्वीकृत अनुमानित परियोजना राशि रू० 514.59 करोड़ (पाँच सौ चौदह करोड़ उनसठ लाख रू०) मात्र के व्यय से कार्यान्वयन एवं निविदा में न्यूनतम बोली वाली एजेंसी द्वारा 30 प्रतिशत से अधिक वी०जी०एफ० की राशि कोट किये जाने की स्थिति में अंतर राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा रिंगफेंस खाता से किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

गृह विभाग (विशेष शाखा)

27. लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक–18.03.74 से 21.03.77 तक की अवधि में हुए आन्दोलन में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन एक माह से छः माह एवं छः माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु लागू "जे0पी0 सम्मान योजना" के तहत् देय पेंशन की दरों में बढ़ोतरी के संबंध में। — 27. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

28. विभागीय संकल्प सं०–187(1), दिनांक–14.03.2023 द्वारा राज्य के अन्तर्गत अवस्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन हेतु सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप शुल्क निर्धारित करने के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.08.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्थगित करने के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

29. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–23/BLO/2025-ERS दिनांक–24.07.2025 के आलोक में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) एवं मतदान केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर) के न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में प्रति बी0एल0ओ0 ₹10,000/– रूपये से बढ़ाकर ₹14,000/– रूपये तथा प्रति बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर ₹15,000/– रूपये से बढ़ाकर ₹18,000/– रूपये वार्षिक किये जाने के फलस्वरूप कुल 90712 बी0एल0ओ0 एवं 8245 बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर के पारिश्रमिक भुगतान पर प्रतिवर्ष होने वाले अतिरिक्त व्यय की कुल राशि ₹38,75,83,000/– (अड़तीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरासी हजार) रूपये की स्वीकृति के संबंध में।

29. स्वीकृत।

कृषि विभाग

30. कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के किसानों को रियल टाईम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुँचाने एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार फसलवार आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता का पूर्वानुमान, किसान आधारित सेवाओं के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकियों का समावेश तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के डेटाबेस को एक एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन समर्थन प्रणाली विकसित करने आदि के लिए कृषि विभाग के अधीन डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन की स्वीकृति।

30. स्वीकृत।